दिनांक 13.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 15/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद अलीगढ़/थाना गॉधीपार्क</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 हजार 500 सौ रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांकः 13.02.2025 को थाना गॉधीपार्क व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भदेशी पुल के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ कालू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 हजार 500 सौ रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद अलीगढ़ से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ, हाथरस, मथुरा के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गॉधीपार्क पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– देवेन्द्र उर्फ कालू निवासी पला रोड थाना सासनीगेट जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—लूट के 2 हजार 500 सौ रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना न्यूआगरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांकः 12.02.2025 को थाना न्यूआगरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फोर्ट स्टेशन से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इमरान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हरिपर्वत कमिश्नरेट आगरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना न्यूआगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इमरान निवासी मुण्डा पाडा ढोली खार थाना मंटोला कमिश्नरेट आगरा।

जनपद कौशाम्बी/थाना संदीपनघाट

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.02.2025 को थाना संदीपनघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बलिहांवा मोड़ से इमामगंज बाजार के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुमित उर्फ गुण्डा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कौशाम्बी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना संदीपनघाट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना संदीपनघाट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुमित उर्फ गुण्डा निवासी ग्राम अर्का फतेहपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना चिल्हिया

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 15 हजार 400 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांकः 12/13.02.2025 की रात्रि थाना चिल्हिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान परैया पुल के पास बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रामजीत घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–निलेश उर्फ नीलू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 15 हजार 400 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामजीत निवासी जगदीशपुर राजा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

2–निलेश उर्फ नीलू निवासी जगदीशपुर राजा थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1–लूट के 15 हजार 400 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना शिवपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के 10 लाख 44 हजार 970 रूपये नगद**
- **चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांकः 13.02.2025 को थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फैन्टेसिया वाटर पार्क जाने वाली रोड से अभियुक्त मो0 इस्लाम को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 लाख 44 हजार 970 रूपये नगद, चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना शिवपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शिवपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये, आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 इस्लाम निवासी विछुआनाथ अखाडे के बगल में ढेलवरिया थाना जैतपुरा, वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी के 10 लाख 44 हजार 970 रूपये नगद।

2–चोरी के भारी मात्रा में (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

3–02 मोबाइल फोन।

जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 36 कुन्तल विद्युत तार**
- **विद्युत तार/केबिल काटने के उपकरण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 पिकप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 13.02.2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बागडपुर जाने वाले कट के पास से 08 अभियुक्तों 1–सरजीत 2–सुरेन्द्र 3–सुभाष 4–करन 5–रोहित 6–सुमित 7–रविन्द्र 8–जिशान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 36 कुन्तल विद्युत तार, विद्युत तार/केबिल काटने के उपकरण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 पिकप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद विद्युत तार चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त सरजीत शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड, अमरोहा के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरजीत निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

2–सुरेन्द्र निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

3–सुभाष निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

4–करन निवासी न्यू सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली।

5–रोहित निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

6–सुमित निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

7–रविन्द्र निवासी ग्राम गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

8–जिशान निवासी न्यू सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली।

बरामदगी

1–चोरी के 36 कुन्तल विद्युत तार।

2–विद्युत तार/केबिल काटने के उपकरण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 पिकप वाहन आदि।

जनपद इटावा/थाना जसवंतनगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 29 हजार रूपये नगद**
- **चोरी का 01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 12/13.02.2025 को थाना जसवंतनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मलुपुरा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शनि उर्फ महाकाल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त अंशुल सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के

29 हजार रूपये नगद, चोरी का 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.01.2025 को थाना जसवंतनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जसवंतनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अंशुल के विरूद्ध जनपद इटावा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त शनि उर्फ महाकाल के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, इटावा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जसवंतनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शनि उर्फ महाकाल निवासी झीगूपुरा थाना सैफई जनपद इटावा।

2—अंशुल निवासी नगला नवल थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।

बरामदगी

1—चोरी के 29 हजार रूपये नगद।

2—चोरी का 01 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त जमशेद उर्फ मिस्टर को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना मारहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 85 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376घ/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त श्यौराज को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 85 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना मारहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गजेन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना कौशाम्बी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कौशाम्बी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शिवनन्दन उर्फ कमल को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–साईबर अपराधियों द्वारा संगठित गैंग बनाकर भारतीय नागरिकों को फर्जी रूप से डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ धोखाधडी करने एवं गेमिंग, ट्रेडिंग एप के माध्यम से धोखाधडी कर धन अर्जित करने तथा अवैध गतिविधियों हेतु भारतीय नागरिकों के बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 12–02–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को साईबर अपराधियों द्वारा संगठित गैंग बनाकर भारतीय नागरिकों को फर्जी रूप से डिजीटल अरेस्ट करके उनके साथ धोखाधडी करने एवं गेमिंग, ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से धोखाधडी कर धन अर्जित करने तथा अवैध गतिविधियों हेतु भारतीय नागरिकों के बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 03 सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– मोहन सिंह उर्फ रोकी पुत्र धीरज सिंह निवासी ग्राम रायपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ।

2– संयम जैन पुत्र अजय जैन निवासी म0नं0 19/368 आर्य नगर गॉधी रोड बडौत जनपद बागपत।

3– अरमान पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम घरबरा थाना टप्पल जनपद अलीगढ।

बरामदगी–

1– 03 अदद मोबाइल फोन

2– 03 अदद कूटरचित आधार कार्ड।

3– 05 अदद बैंक की चैकबुक

4– 02 अदद चैक

5– 01 अदद पासबुक बैंक की

6– 06 डेबिट/क्रेडिट कार्ड

7– 01 अदद सिम कार्ड

8– 580 रूपया नगद तथा अन्य दस्तावेज।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

कार्यालय एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र दिनांक 12–02–2025 समय 21.15 बजे।

विगत काफी दिनों से एसटीएफ उत्तर प्रदेश को साईबर अपराधियों द्वारा भारतीय नागरिकों को फर्जी रूप से डिजीटल अरेस्ट करके उनके साथ धोखाधडी करने एवं गेमिंग व ट्रेडिग एप के माध्यम से धोखाधडी करके धन अर्जित करने वालों के सम्बन्ध में सूचनाऐं प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, नोएडा एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ नोएडा के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर निरीक्षक श्री सचिन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को दिनांक 12–02–2025 को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि धोखाधडी करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों के बैक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 03 सदस्य सेक्टर– 45 नोएडा गौतमबुद्धनगर क्षेत्र के एक होटल में आने वाले हैं। तदोपरान्त इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 यूनिट नोएडा की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सैक्टर– 45 नोएडा गौतमबुद्धनगर क्षेत्र के एक होटल से उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को दिनांक 12–02–2025 को पूछताछ हेतु एस0टी0एफ0 कार्यालय नोएडा लाया गया। तीनों व्यक्तियों से उपलब्ध सामग्री एवं अन्य दस्तावेजों के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ एवं विस्तृत रूप से जानकारी की गयी तो सम्पूर्ण पूछताछ के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को समय लगभग 21.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त मोहन सिंह उर्फ रोकी ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 33 साल है और वह कक्षा 12 पास है। वर्ष 2021 में दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में वह टैक्सी चलाने का काम करता था और उसी दौरान उसकी जान पहचान जनपद गोरखपुर के रहने वाले राजन नामक व्यक्ति से हुयी थी, जो विभिन्न तरीके से साईबर फ्रॉड के पैसों को ट्रान्सफर के लिए MULE एकाउन्ट उपलब्ध कराता था। अभियुक्त मोहन सिंह उर्फ रॉकी ने राजन के साथ मिलकर यह काम करना शुरू कर दिया था। अभियुक्त मोहन सिंह उर्फ रॉकी ने राजन के माध्यम से ही करीब ढाई माह पहले कानपुर निवासी रोहन अग्रवाल एवं हर्षवर्धन गुप्ता से सम्पर्क किया और फिर इन लोगों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर साईबर फ्रॉड का एक संगठित गिरोह चलाने लगे और अभियुक्त मोहन सिंह उर्फ रॉकी के सम्पर्क में संयम जैन तथा अरमान भी आ गये। इसके अलावा भारत के विभिन्न जगहों से MULE एकाउन्ट उपलब्ध कराने लगे और कई लोगों को इस गैंग से जोडा गया। पूछताछ में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि कौशल शर्मा निवासी शामली को इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर इन अभियुक्तों द्वारा फॅसाया गया और शेयर ट्रेडिग के

नाम पर Point- BRE नामक ऐप को ज्वाइन कराया गया और वादी से धोखाधडी करके 51 लाख रूपये ठग लिये गये जिसके सम्बन्ध में साइबर क्राईम पुलिस थाना शामली पर मु0अ0स0 04/25 धारा 318(4) बीएनएस, एवं 66/66डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग दर्ज है। इसके अलावा रोहिणी दिल्ली की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 15 लाख रूपये तथा वृहद मुम्बई सेन्ट्रल रीजन की एक महिला को अरेस्ट करके 25 लाख रूपया धोखाधडी करके ठगे गये जिनकी शिकायत साईबर क्राईम पोर्टल पर दर्ज है। पूछताछ में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि धोखाधडी की यह रकम USDT Crypto में परिवर्तित करके हवाला के माध्यम से बांटी जाती थी। अभियुक्तो से की गयी संयुक्त पूछताछ में 39 बैक एकाउन्ट प्रकाश में आये हैं जिनका प्रयोग इस संगठित गिरोह के द्वारा किया जा रहा था इन एकाउन्टस के सम्बन्ध में गहन छानबीन की जा रही है।

अब तक की जानकारी के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेशरा, वेस्ट बंगाल आदि के कई लोगों को इन्होंने विभिन्न तरीको से साईबर फ्रॉड करके करोडों रूपयों की ठगी की है। पूछताछ एवं जानकारी करने से यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न पीडितों द्वारा (जो इस गैंग के द्वारा ठगी के शिकार हुए हैं) विभिन्न राज्यों में शिकायते दर्ज करायी गयी हैं जिनका विवरण निम्नवत है–

S NO	ACKNOWLEGEMENT NO OF COMPLANITS	STATE	DISTRICT	POLICE STATION	FRAUDULENT AMOUNT REPORTED BY CPMPLAINANT
1	22101250003715	MADHYA PRADESH	INDORE URBAN	MALHARGANG	846000
2	30802250011563	DELHI	NORTH WEST	CYBER POLICE STATION NORTH WEST	14493850
3	21602250006893	KARNATAK	BANGALORE CITY	EAST CEN CRIME PS	4800000
4	31602250014506	KARNATAK	HASSAN	HASSAN CEN CRIME PS	1718000
5	31602250015203	KARNATAK	HUBLI-DHARWAD CITY	CYBER CRIME PS HUBBALI	13795127
6	2160225006708	KARNATAK	BANGALORE	AVALAHALLI	2400000
7	31902250020882	MAHARASHT RA	BRIHAN MUBAI CITY	CYBER POLICE STATION WEST REGION	14500000

8	23101250018797	UTTER PREDESH	SHAMLI	SHAMLI	4400000
9	30802250010191	DELHI	ROHINI	CYBER POLICE STATION ROHINI	1500000
10	31902250025462	MAHARASHT RA	BRIHAN MUBBAI CITY	CYBER POLICE STATION CENTRAL REGION	2500000

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 98/2025 धारा 318, 338, 340, 61(2), 3(5) बी0एन0एस0 एवं 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————————